

आदेश

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), जहानाबाद के पत्रांक- 790 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा श्री विकास कुमार यादव, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (ID No.-SKN04477) के विरुद्ध दिनांक 10.10.2020 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की सूचना भेजी गई है।

उक्त सूचना के आलोक में निदेशालय पत्रांक- 313 दिनांक 18.01.2024 द्वारा श्री यादव से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के विरुद्ध तीन (03) दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की माँग की गई है। उक्त आदेश के आलोक में आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण ससमय समर्पित किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई, समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा अपनी अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि के संबंध में अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि वे कोविड-19 होने के कारण कार्यालय से अनुपस्थित थे। इनके द्वारा समर्पित चिकित्सीय कागजात, जो ये स्पष्टीकरण के साथ समर्पित किये हैं, का अवलोकन किया गया, तो पाया गया कि इतनी लंबी अवधि तक चिकित्सा में रहने जैसी कोई गंभीर बीमारी का उल्लेख नहीं है। साथ ही इनके द्वारा कार्य करने की अनुमति की माँग किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

यदि श्री यादव गंभीर रोग से पीड़ित थे तो एतद् संबंधी सूचना अपने कार्यालय को समय पर दिया जाना चाहिये था तथा इस संबंध में संबंधित कार्यालय से भी कोई सूचना/प्रतिवेदन अंकित नहीं किया गया है। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के लिए इतनी लंबी अवकाश स्वीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इनके द्वारा स्पष्टीकरण में कोई ऐसा अपने चिकित्सा का अलग तथ्य दिया गया है, जिस पर कि विचार किया जा सके। इनका कृत्य कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसके लिए योजना की अवधि निर्धारित है। अतएव "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली- 2019" के नियम 8(4) के तहत लंबी अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण श्री विकास कुमार यादव, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (ID No.-SKN04477) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0 (2) राज्य यो0 (संविदा)- 03/2022.....1316..... पटना, दिनांक : 12/03/2024
प्रतिलिपि : सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), जहानाबाद को उनके पत्रांक-790 दिनांक 29.09.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0 (2) राज्य यो0 (संविदा)- 03/2022.....1316..... पटना, दिनांक : 12/03/2024
प्रतिलिपि : श्री विकास कुमार यादव, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (ID No.-SKN04477) बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0 (2) राज्य यो0 (संविदा)- 03/2022.....1316..... पटना, दिनांक : 12/03/2024
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत संधारित उक्त कर्मों का व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करें।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण